

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी गंगासिंह स्वयं उप0। उसने स्वयं का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पेश किया। उसने अभियुक्त से राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पी0सी0 आर्य, एसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज दिनांक 25.11.16 को 3 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 22.12.16 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

उप (A.K. Gupta) प्रण
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित, प्रस्तुत।

फरियादी गंगासिंह की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता एव अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।

Witness No. _____

Description _____


अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 325 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

प्रकरण में आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।


(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad District (M.P.)
गोहाड जिला सिण्ड 80960